

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि..... के पुत्र/पुत्रीराज्य के जिले गांव के जाति के हैं, जो निम्नलिखित के अनुसार पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं :

1. दिनांक 13 सितंबर 1993 के भारत के राजपत्र-असामान्य, भाग-1 खंड 1, सं. 186 में प्रकाशित दिनांक 10 सितंबर, 1993 का संकल्प संख्या 12011/88/93- बीसीसी।
2. दिनांक 19 अक्टूबर 1994 के भारत के राजपत्र-असामान्य, भाग-1 खंड 1, सं. 163 में प्रकाशित दिनांक 20 अक्टूबर, 1993 का संकल्प संख्या 12011/9/94- बीसीसी।
3. दिनांक 24 मई 1995 के भारत के राजपत्र-असामान्य, भाग-1 खंड 1, सं. 88 में प्रकाशित दिनांक 25 मई, 1995 का संकल्प संख्या 12011/7/95- बीसीसी।
4. दिनांक 11 दिसम्बर 1996 के भारत के राजपत्र-असामान्य, भाग-1 खंड 1, सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प संख्या 12011/44/96- बीसीसी।
5. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 129 में प्रकाशित दिनांक 8 जुलाई, 1997 का संकल्प सं. 12011/68/93- बीसीसी
6. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 164 में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/12/96- बीसीसी
7. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 236 में प्रकाशित दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/99/94- बीसीसी
8. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 239 में प्रकाशित दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं. 12011/13/97- बीसीसी
9. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 166 में प्रकाशित दिनांक 3 अगस्त, 1998 का संकल्प सं. 12011/12/96- बीसीसी
10. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 171 में प्रकाशित दिनांक 6 अगस्त, 1998 का संकल्प सं. 12011/68/93- बीसीसी
11. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 241 में प्रकाशित दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 का संकल्प सं. 12011/68/98- बीसीसी
12. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 270 में प्रकाशित दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं. 12011/88/98- बीसीसी
13. भारत के राजपत्र-असामान्य सं. 71 में प्रकाशित दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं. 12011/36/99- बीसीसी

श्री.....और/अथवा अपना परिवार सामान्यतः राज्य के जिले के निवासी हैं। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे दिनांक 8.9.93- के भारत सरकार की अनुसूची, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम संख्या /36012/22/93- स्थापना (एससीटी) के तीसरे कालम में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते।

दिनांक

मुहर

टिप्पणी: पुनश्च: उपयोग में लाए गए शब्द 'असामान्य' का तात्पर्य, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में बताए गए अर्थ के समान होगा।

जिलाधिकारी/उपायुक्त